भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3252

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

3252. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल संख्या कितनी है और उनकी परिचालन स्थिति क्या है तथा यातायात घनत्व, अनुरक्षण / मरम्मत कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को विगत दस वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में विशेषकर बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और उक्त कार्यों को प्रारंभ और पूर्ण करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, ऐसी प्रत्येक परियोजना की लंबाई और उन पर अनुमानित व्यय कितना है तथा स्थानवार उनके प्रमुख मार्ग कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है और यह कब तक किया जाएगा;

(च) क्या सरकार दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले प्रमुख राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने अथवा राजस्थान में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत उनका उन्नयन करने की कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके रख-रखाव के लिए कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (छ) वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल संख्या 53 है। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 में लगभग 7,646 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 10,733 किलोमीटर हो गई है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों का यातायात सघनता लगभग 3000 पीसीयू/दिन से लेकर लगभग 1,00,000 पीसीयू/दिन तक है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव, जिसमें राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य संपर्कता की आवस्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात सघनता और प्रधानमंत्री गति शक्ति की अवसंरचना के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों की यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा सके।

राजस्थान राज्य में विगत वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सौंपी गई और निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	सौंपा गया (कि.मी.)	निर्मित (किमी में)
2023-24	531	868
2024-25*	98	761

*फरवरी 2025 तक

राष्ट्रीय राजमार्ग के उन खंडो का रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर), जहां विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें / संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) अनुबंध सौंपे गए हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी) / रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों / संविदाकारों की जिम्मेदारी है।

शेष राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए सरकार ने कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

सरकार को राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्यीय राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने/उन्नत करने के प्रस्ताव मिलते रहते हैं। सरकार संपर्कता की आवश्यकता, परस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर समय-समय पर राज्यीय राजमार्गों सहित कुछ राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार करती है।

*****